



इलाहाबाद विश्वविद्यालय / UNIVERSITY OF ALLAHABAD

राजभाषा अनुभाग / RAJBHASHA SECTION

कक्ष संख्या 12 प्रथम तल, तिलक भवन, सीनेट परिसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, ईमेल rajbhasha@allduniv.ac.in, दूरभाष/मो. नं. 7535990036.



पत्रांक:- रा.भा./व्य.आ./2025-26/ ५४५

दिनांक 29 मार्च, 2025।

प्रेषक,

प्रो. आशीष खरे,
कुलसचिव,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त अधिष्ठाता/ विभागाध्यक्ष/ निदेशक/ समन्वयक, संघटक महाविद्यालय के समस्त प्राचार्य, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलानुशासक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कुल अभियंता, समस्त संयुक्त कुलसचिव/ उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव, समस्त अधिकारी/कर्मचारी।

विषय:- कार्यालयीन कृत्यों एवं दायित्यों का निष्पादन हिन्दी भाषा में किए जाने विषयक।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 351 सप्तित राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए) नियम, 1976 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के उपनियम (1), नियम 4 के उपनियम (क) और (ख), नियम 5, नियम 8 के उपनियम (4) एवं नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन इस विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने समस्त कार्यालयीन कृत्यों एवं दायित्यों यथा टिप्पण लेखन, प्रारूपण इत्यादि का निष्पादन हिन्दी भाषा में सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आशीष

(प्रो. आशीष खरे)

कुलसचिव,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

दिनांक 29 मार्च, 2025।

पत्रांक:- रा.भा./व्य.आ./2025-26/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- (1) माननीय कुलपति महोदया के वैयक्तिक सचिव;
- (2) कुलसचिव के वैयक्तिक सचिव;
- (3) अध्यक्ष, आई.सी.टी. प्रकोष्ठ;
- (4) जन-संपर्क अधिकारी।

पूर्ण जीवान्तर्मुख
(प्रवीण श्रीवास्तव २९.०३.२०२५)

हिन्दी अधिकारी, राजभाषा,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज।